



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1943 (श०)
(सं० पटना 943) पटना, बुधवार, 17 नवम्बर 2021

सं० एन०/जे०पी०को०स्था०-05/2021/580-गृ०वि०

गृह विभाग (विशेष शाखा)

संकल्प

8 नवम्बर 2021

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक-18.03.74 से 21.03.77 तक की अवधि में हुए आन्दोलन में मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत एक माह से छः माह तक कारा में निरुद्ध आन्दोलनकारियों को 5000/-(पाँच हजार) एवं छः माह से अधिक अवधि के लिए 10000/-(दस हजार) तथा संदर्भित अवधि में उक्त कोटि के जेल में मृत एवं पुलिस फायरिंग में मारे गए व्यक्तियों के पति/पत्नी को 10000/-(दस हजार) एवं पुलिस फायरिंग में गोली से घायल व्यक्तियों को 5000/-(पाँच हजार) मासिक सम्मान पेंशन देने का राज्य सरकार का निर्णय संकल्प संख्या-524, दिनांक-15.07.2015 के द्वारा संसूचित है। उक्त संकल्प के अधीन इस योजना के तहत सभी प्रकार के पेंशनरों की मृत्यु के बाद उनके जीवित पति/पत्नी (Spouse) को भी उसी दर से पेंशन एवं अन्य सुविधाएँ देय हैं।

2. वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत देय पेंशन की दरों को युक्तिसंगत करते हुए इसमें आनुपातिक बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। इस वृद्धि के फलस्वरूप जिन पेंशनधारियों को रू० 5000/-(पाँच हजार) की दर से पेंशन अनुमत है उनका पेंशन बढ़कर रू० 7500/-(सात हजार पाँच सौ) तथा जिन्हें रू० 10000/-(दस हजार) की दर से पेंशन अनुमत है उनका पेंशन बढ़कर रू० 15000/-(पन्द्रह

हजार) प्रतिमाह हो जाएगा। तदनुरूप उक्त सभी कोटि के पेंशनरों की मृत्यु की दशा में उनकी जीवित पति/पत्नी (Spouse) को भी इस वर्द्धित दर से पेंशन देय होगा।

3. इस वर्द्धित दर पर पेंशन का भुगतान इस संकल्प के निर्गत होने के माह के बाद के माह से प्रभावी होगा।
4. पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-524, दिनांक-15.07.2015 की अन्य सुविधाएँ एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनि कुमार,
सरकार के उप सचिव-सह-
उप निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 943-571+100-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>